

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.07.2025*

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा वारण्टी नाम पता मनिराम यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी गुनवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, का0 अनिल प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 172 वाहनों से 2,29,600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 172 वाहनों से 2,29,600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 02.07.2025

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 02.07.2025 को मा0 न्यायालय – **सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 21/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के मामलों में अभियुक्त विनोद नाई पुत्र रामबेलास उर्फ बेलास सा0 भरवलिया पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त विनोद नाई को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 02.07.2025

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 02.07.2025 को मा0 न्यायालय – **सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 223/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के मामलों में अभियुक्त दिलीप गुप्ता पुत्र जगदेश प्रसाद गुप्ता सा0 बैरिहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त दिलीप गुप्ता को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।